संख्या 36028/17/2001 - स्थापना (आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

दिनांक जुलाई 11, 2002

कार्यालय - ज्ञापन

विषयः अपनी ही योग्यता पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से बरताव ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना(आरक्षण) द्वारा आरंभ किए गए आरक्षण-रोस्टरों में अपनी ही योग्यता पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के समायोजन के बारे में इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों इत्यादि से संदर्भ मिलते आ रहे हैं । जबकि दिनांक 02.07.1997 के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि सीधी भर्ती से, अपनी ही योग्यता पर, न कि आरक्षण से, नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार, उपर्युक्त आरक्षण-रोस्टरों में अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित किए जाने हैं, अपनी ही योग्यता पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बारे में शंकाएँ की गई हैं । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(i) अपनी ही योग्यता पर, न कि आरक्षण से अथवा अर्हताओं में ढील दिए जाने से, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार आरक्षण-रोस्टर के आरक्षित बिंदुओं पर समायोजित नहीं किए जाएँ । उन्हें उपर्युक्त रोस्टर के अनारक्षित बिंदुओं पर समयोजित किया जाए ।

(ii) यदि किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो ओर पदोन्नति की दृष्टि से संभरक ग्रेड में सामान्य विचारण-क्षेत्र के अंतर्गत कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार आ रहा हो तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार को महज़ इस दलील पर पदोन्नत करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त रिक्त पद आरक्षित नहीं है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार मान कर उसे, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ-साथ पदोन्नत करने पर विचार

.....2/-

किया जाए । यदि वह चुन लिया जाए तो उसे उपर्युक्त रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाए और उसे उपर्युक्त आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिंदु पर समायोजित कर दिया जाए ।

(iii) सीधी भर्ती या पदोन्नति से अपनी ही योग्यता पर नियुक्त और आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिंदुओं पर समायोजित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, अपने किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने की स्थिति क़ायम रखेंगे और वे भविष्य में आरक्षण का लाभ/आगे कोई और पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(iv) अधिकतम 50% तक के आरक्षण की सीमा, आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों का शुमार नहीं करके परिकलित की जाएगी जो अपनी ही योग्यता पर नियुक्त/पदोन्नत हुए हों ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से इस कार्यालय-ज्ञापन की विषय-वस्तु, जानकारी और अनुपालन हेतु अपने सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के ध्यान में ला देने का अनुरोध है ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
भारत-सरकार के उप सचिव

सेवा में,

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
5. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेल-मंत्रालय (रेल-बोर्ड) ।
7. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा-सचिवालय/राज्य-सभा-सचिवालय/ मंत्रिमंडल-सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/राष्ट्रपति-सचिवालय/ प्रधानमंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
8. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय सरकार-कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. सचिव, कर्मचारी-पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग-आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।